विभिन्न राज्यों द्वारा मांगे गये तथा उन्हें मंजूर किये गये छोटी अवधि के ऋणों का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है (देखिए परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं. 140)। बजट व्यवस्था में कमी के कारण राज्यों को उनकी मांगों के अनुसार छोटी अवधि के ऋण नहीं दिये जा सके।

भवन निर्माताओं द्वारा खरीदी गई भूमि की कीमत की अदायगी न किया जाना

*326. **श्री राम जेटमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित अनेक व्यापारिक भवन निर्माताओं ने उनके द्वारा नीलामी में खरीदी गई भूमि की धनराशि अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को अदा नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा इस समय उनके नाम कितनी-कितनी राशि बकाया है;

(ग) अभी तक इस राशि को उनसे प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार बकाया राशि के प्राप्त न होने के कारण भूमि का आवंटन रद्द करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके साथ इस प्रकार की नरमी बरतने के क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ङ) कुल मिलाकर ऐसे 12 मामले हैं, एक मामले में बोली निरस्त की गई थी, धरोहर राशि जब्त कर ली गई तथा प्लाट को पुनः आवंटित किया गया था। दो मामलों में पार्टियों द्वारा प्रीमियम का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान न करने के कारण बोली को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों ही पार्टियां न्यायालय की शरण में गई और ये मामले न्यायाधीन हैं। दो और मामले विभिन्न आधारों पर न्यायाधीन हैं। छठे मामले में निर्माता शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान करने को तैयार है बशर्ते उसे 1980 में नीलामी के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार भवन निर्माण करने की अनुमति दी जाए। लेकिन फरवरी, 1988 में सरकार द्वारा इस मामले में जारी किए गए मार्गनिर्देशनों के अनुसार इन शर्तों पर भवन निर्माण अनुमेय नहीं है। मामलों के इस पहलू की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माता के साथ जांच की जा रही है। प्रीमियम की शेष राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख में छूट तथा उन शर्तों के मूल प्रश्न पर शेष 6 मामले विचाराधीन हैं जिनपर इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए।

2. लम्बित कुल 11 मामलों में से केवल तीन मामलों में भूमि का कब्जा दिया गया है। इन सभी तीनों मामलों में प्रीमियम का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हो गया है तथा ब्याज सहित शेष राशि बैंक गारन्टी समर्थित है।

Criteria for granting a Licence to start a sugar factory in Maharashtra

*328. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what are the criteria for granting a licence to start a Sugra factory in Maharashtra;

(b) whether any relaxation has been given in the above criteria; and

(c) if so, the details thereof and the reasons for the same?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) Industrial licences for startin new sugar factories in the country including the State of Maharashtra are being granted is accorrance with the guidelines issued *vide* press Note No. 1 (1987-series) dated 2.1.1987 by the Ministery of Industry (Deptt. of I. D.). A copy of the press note is attached as Statement. (*See* below).